8-01-25	[illegible]वली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष [illegible] उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी [illegible] राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अभिभाषकगण अन्य कार्य मे व्यस्त है। अतः पत्रावली [illegible] कन्डोलेन्स पर है। कार्यवाही हेतु दिनांक 30-01-25 को पेश हों।
30-01-25	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली बास्ते आदेश दिनांक 06-02-25 को पेश हो।
6-02-25	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई है पत्रावली का अवलोकन उपरान्त वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो। वाद प्रकरण दर्ज नम्बर रजिस्टर होकर पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी [illegible] (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

दावा संख्या 38/2010
दायरा दिनांक 10.06.2010

पीठासीन अधिकारी
श्रीमती भावना सिंह(RAS)

बउनवान

नूर मोहम्मद पुत्र बादूल्ला खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम माखीदा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान मृतक कायम मुकाम

1/1. मोहम्मद याकुब पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी माखिदा तहसील इन्द्रगढ़
1/2. मकसुद अली पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी माखिदा तहसील इन्द्रगढ
1/3. मुबारिक पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी माखिदा तहसील इन्द्रगढ
1/4. जाहिद हुसैन पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी माखिदा तहसील इन्द्रगढ
1/5. मेहरूनिसा पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी माखिदा तहसील इन्द्रगढ
1/6. (डिलीट)गुलाब बाई पत्नी नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी माखिदा तहसील इन्द्रगढ

–वादीगण

बनाम

1. इस्माईल उर्फ ईसलाम पुत्र गनी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम माखिदा हाल निवास मस्जिद के पास इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
2. हनीफ पुत्र गनी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी माखीदा हाल निवास नई बस्ती कब्रस्तान के पास तालेडा तहसली इन्दगढ़ जिला बून्दी,राज0।
3. ईसाक मोहम्मद पुत्र गनी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी पुलिस लाईन मस्जिद के पास शिवनगर कोटा, राज0।
4. घीसी पुत्री गनी मोहम्मद पत्नी हुसैन खां निवासी पाटुण्दा तहसील अन्ता बांरा, राज0।
5. जेतुना पुत्री गनी मोहम्मद पत्नी हजारी खां मिलेटी मैन जाति मुसलमान निवासी मस्जिद के पास शिव नगर कोटा, राज0।
6. जेतुना पुत्री गनी मोहम्मद पत्नी सलीम जाति मुसलमान निवासी शिव नगर कोटा, राज0।
7. पुरखान पुत्री गनी मोहम्मद पत्नी मुस्ताक जाति मुसलमान निवासी शिव नगर, कोटा, राज0।
8. बानों बाई बेवा गनी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी पुलिस लाईन शिव नगर कोटा, राज0।

–प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

वाद पत्र बाबत अधिकार घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा व इन्द्राज दूरूस्ती अन्तर्गत धारा 88,89,188 आ0टी0एक्ट0

दिनांकः— 06.02.2025

निर्णय

संक्षप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत धारा 88,89,188 प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या 12 के खसरा संख्या 25/2 रकबा 0.20है0, ख0सं0 27 रकबा 2.39है0, कुल किता 2 कुल रकबा 2.59है0 किस्म नहरी द्वितीय वाके ग्राम चक माखिदा पटवार हल्का खाकटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0 में स्थित है। वाद विषयक आराजी के पूर्व ख0सं0 20 रकबा 33बीघा 7बिस्वा थे जिसमें से प्रतिवादी सं 1 लगायत 7 के पिता व प्रतिवादी सं 8 के पति ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 07.07.1992 के द्वारा दक्षिण दिशा की 10बीघा कृषि भूमि को आप श्री गोवर्धन, बद्री पि0 रामनाथ, केदार पुत्र मोडू जरिये संरक्षक पिता मोडू जाति मीणा निवासी बहडावली को एवं जरिये विक्रय पत्र दिनांक 07.07.1995 के द्वारा 6बीघा 10बिस्वा श्री किसकन्धा बाई धर्म पत्नी बाबूलाल मीणा निवासी बहडावली को रूबरू गवाहान बेचान कर कब्जा सम्भला दिया था जिसका विधिवत बंटवारा कर खाता अलग हो चुका है। वाद विषयक आराजी में से 1/2हिस्सा प्रतिवादी सं 1 लगायत 7 के पिता व प्रतिवादी सं 8 के पति ने विक्रय पत्र रजिस्ट्री के साथ अलग–अलग इकरार नामे निष्पादित किए थे कि उक्त विक्रय पत्र के पेटे समस्त रकम मुझ गनी मोहम्मद के द्वारा प्राप्त की जा रही है किन्तु वाद वर्णित कृषि भूमि शामलाती खात अंकन होने के कारण उक्त विक्रय पत्रों पर वादी नूर मोहम्मद के भी हस्ताक्षर है। प्रतिवादीगण ने गनी मोहम्मद की मुत्यु उपरान्त राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर सहखातेदार के रूप में सम्पूर्ण वाद वर्णित आराजी के 1/2हिस्से पर आपना नाम अंकित करवा लिया गया है जो अनुचित व गैर कानूनी शून्य इन्द्राज है। प्रतिवादीगण अपने नाम का गलत फायदा उठाकर वादी की भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करके छीनना चाहते है एवं हस्तानान्तरण कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। वादी को यह अधिकार प्राप्त है कि वाद विषयक आराजी में 1/2 हिस्से पर अंकित प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के नाम को विलोपित करवाकर सम्पूर्ण हिस्से पर अपना नाम दर्ज करावे एवं प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावें। वादी ने प्रतिवादी सं 1 लगायत 8 से कई बार निवेदन किया कि वाद विषयक आराजी पर अंकित अपने 1/2हिस्से पर शून्य इन्द्राज करवाकर अपने नाम को विलोपित करवाये किन्तु प्रतिवादीगण ने स्पष्ट मना कर दिया और कहा कि हम पूरी जमीन पर कब्जा करेंगे एवं रहन, बय, दान कर खुर्द बुर्द करेंगे यही वाद उत्पत्ती का कारण है जो निरन्तर उत्पन्न हो रहा है। अन्त में वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि वाद पत्र में वर्णित आराजी में से प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के नाम के इन्द्राज को विलोपित किया जाकर सम्पूर्ण हिस्से पर वादी को खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को उक्त आराजी के किसी भी भू भाग पर जबरन कब्जा व हस्तक्षेप नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

2/5

न्यायालय

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया
गया। प्रतिवादी सं 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
अमल में लायी गई। प्रतिवादी सं 1 लगायत 8 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि
प्रतिवादी सं 1 लगायत 7 के पिता व प्रतिवादी सं 8 के पति ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 07.07.
1992 के द्वारा श्री गोवर्धन, बद्री पि0 रामनाथ, केदार पुत्र मोडू जरिये संरक्षक पिता मोडू जाति
मीणा निवासी बहडावली को एवं जरिये विक्रय पत्र दिनांक 07.07.1995 के द्वारा किसकन्धा बाई
धर्म पत्नी बाबूलाल मीणा निवासी बहडावली को अकेले बेचान नहीं किया बल्कि वादी ने भी गनी
मोहम्मद के साथ–साथ अपना हिस्सा बेचान किया था। इस कारण दोनो का हिस्सा विधिवत
खरीदारान के खाते लग चुका है। गनी मोहम्मद जी द्वारा कोई इकरारनामा वादी के पक्ष में
निष्पादित नहीं किया है। जो बचान हुये है वे रजिस्टर्ड बेचाननामें है, जिनको निरस्त कराये
बिना वाद चलने योग्य नहीं हैं, प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सही रूप से गनी
मोहम्मद जी के मृत्यु के पश्चात् जर्ये नामांतकरण अंकित हुआ है। प्रतिवादीगण कानूनी रूप से
1/2 हिस्से के खातेदार है इसी अनुरूप उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। वादी को
प्रतिवादीगण के वादविषय आराजी में निहित हिस्से को विलोपित करवाने का कोई अधिकार नहीं
है और ना ही उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार है। अन्त में निवेदन किया
कि वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली में तनकीयात कायम कर पत्रावली साक्ष्य में नियत की गई। वादी ने अपने
साक्ष्य में स्वयं साक्ष्य शपथ पत्र एवं गवाह रामेश्वर, गोपाल, साहबलाल, गोरधन, बाबूलाल,
चन्द्रभान के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किए जिनके बयान करवाये गऐ। प्रतिवादीगण एवं उनके
अधिवक्ता को बार–बार जिरह का अवसर दिए जाने के उपरान्त भी अनुपस्थित रहने से अवसर
बंद कर उनके विरूद्ध एकपक्षयी कार्यवाही अमल में लायी गई। वादी नूर मोहम्मद के बयान
लेखबद्ध करवाये गए। वादी ने वाद पत्र के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी
सम्वत् 2063 से 2066, प्रदर्श–2 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2065, प्रदर्श–3 नकल जमाबंदी सम्वत्
2045 से 2048, प्रदर्श–4 नकल जमाबंदी सम्वत् 2055 से 2058, प्रदर्श–5 नकशा ट्रेस ग्राम
माखिदा, प्रदर्श–6 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2055 से 2058, प्रदर्श–7 खसरा गिरदावरी सम्वत्
2049 से 2052, प्रदर्श–8 नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 1995 से 2015, प्रदर्श–9 इकरारनामा
गनी मोहम्मद आ0 बदुल्ललाखां , प्रदर्श–10 इकरारनामा गनी मोहम्मद स्टाम्प दिनांक 04.07.
1995 एवं नकल विक्रय पत्र दिनांक 07.07.1995, दूसरा विक्रय पत्र दिनांक 07.07.1995 पेश
किए। प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 द्वारा पत्रावली में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

पत्रावली में वादीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। वादीगण के अधिवक्ता ने वाद
में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया कि वाद विषयक आराजी के पूर्व ख0सं0 20
रकबा 33बीघा 7बिस्वा थे जिसमें से प्रतिवादी सं 1 लगायत 7 के पिता व प्रतिवादी सं 8 के पति
ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 07.07.1992 के द्वारा दक्षिण दिशा की 10बीघा कृषि भूमि को आप
श्री गोवर्धन, बद्री पि0 रामनाथ, केदार पुत्र मोडू जरिये संरक्षक पिता मोडू जाति मीणा निवासी
बहडावली को एवं जरिये विक्रय पत्र दिनांक 07.07.1995 के द्वारा 6बीघा 10बिस्वा श्री किसकन्धा
बाई धर्म पत्नी बाबूलाल मीणा निवासी बहडावली को रूबरू गवाहान बेचान कर कब्जा सम्भला

उपखण्ड अधिकारी
काछोला (बून्दी)

किया था जिसका विधिवत बंटवारा कर खाता अलग हो चुका है। वाद विषयक आराजी में से 1/2हिस्सा प्रतिवादी सं 1 लगायत 7 के पिता व प्रतिवादी सं 8 के पति ने विक्रय पत्र रजिस्ट्री के साथ अलग–अलग इकरार नामे निष्पादित किए थे कि उक्त विक्रय पत्र के पेटे समस्त रकम मुझ गनी मोहम्मद के द्वारा प्राप्त की जा रही है किन्तु वाद वर्णित कृषि भूमि शामलाती खात अंकन होने के कारण उक्त विक्रय पत्रों पर वादी नूर मोहम्मद के भी हस्ताक्षर है किन्तु गनी मोहम्मद की मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के मन वदनियती आ जाने से उन्होने शेष भूमि में उनका 1/2हिस्सा जर्ये फौती नामान्तकरण दर्ज करवा लिया है जबकि उनके हिस्से की जमीन तो पूर्व में ही गनी मोहम्मद ने बैचान कर दी है जो गनी मोहम्मद द्वारा निष्पादित इकरारनामें से स्पष्ट है। अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 का नाम वाद विषयक आराजी से विलोपित किया जाकर वादीगण को सम्पूर्ण हिस्से पर खातेदार घोषित जावे तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

हमने वादीगण अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपस्थित दावा, जवाब दावा एवं दस्तावेज का अद्योपान्त अवलोकन करने पर हम तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय की तरफ अग्रसर होते है–

1. आया वाद पत्र में वर्णित आराजी में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं 1 लगायत 7 के पिता ने जर्ये रजिस्ट्री विक्रय किया था तथा इकरारनामें के द्वारा सम्पूर्ण रकम गनी मोहम्मद द्वारा प्राप्त की गई?

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। उक्त तनकी को साबित करने के लिए वादीगण ने प्रदर्श–9 गनी आ0 अब्दुला खां जाति मुसलमान निवासी माखीदा द्वारा निष्पादित टाईपशुदा इकरारनामा दिनांक 07.07.1992, प्रदर्श–10 हस्तलिखित इकरारनामा गनी मोहम्मद पेश किया है। वादीगण इकरानामें पर अंकित गवाहान से इकरारनामा साबित करने में असफल रहें है। यहां महत्वपूर्ण बिन्दू यह है कि वादीगण जिस दस्तावेज को आधार बनाकर यह वाद लाये है वह अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है तथा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर वादी को इस न्यायालय में वाद लाने का कोई कानूनी आधार नहीं है। पत्रावली में उपस्थित नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.07.1992 एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.07.1995 में वादीगण के पिता नूर मोहम्मद व गनी मोहम्मद दोनो द्वारा संयुक्त रूप से भूमि बैचान करना जाहिर है।

अतः वादीगण दस्तावेजी रेकार्ड/साक्ष्य के आधार पर अपने हक में साबित करने में विफल रहने से यह तनकी विरूद्ध वादीगण तय की जाती है।

2. आया वाद ग्रस्त आराजी शामलाती खाते में होने से उक्त विक्रय पत्रों पर वादी के भी दस्तावेज कराए गए?

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण उक्त तनकी को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए है केवल मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए है। दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में वादीगण इस तनकी को अपने पक्ष में साबित करने में विफल रहे है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
कापरेन (बून्दी)

3. **आया वादी को अधिकार है कि वह वादग्रस्त आराजी के 1/2हिस्से पर अंकित प्रतवादीगण 1 लगायत 8 का नाम विलोपित कराकर सम्पूर्ण हिस्से पर स्वयं का नाम अंकित करावें?**

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। इस तनकी में वादीगण द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है उसका मुख्य आधार तनकी सं0 1 से है जिसे वादीगण साबित करने में असफल रहने से वादीगण यहां किसी प्रकार का अनुतोष का अधिकार नहीं है। अतः यह तनकी भी वांदीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

4. **आया वादी को अधिकार है कि वह प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करावें?**

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। चूंकी वादीगण अपने हक की तनकी सं0 1 लगायत 3 को अपने पक्ष में साबित करने असफल रहा है तथा प्रदर्श–1 राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2063 से 2066 ग्राम चकमाखिदा के खातौनी संख्या 12 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 प्रश्नगत आराजी के सहखातेदार है ऐसी स्थिति में सहखातेदार के विरूद्ध वादीगण के हक में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना कानून सम्मत नहीं है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

5. **आया वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 के पिता द्वारा संयुक्त रूप से भूमि बैचान की गई थी?**

इस तनकी को सबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। इस तनकी बाबत् पत्रावली में प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया है। अतः दस्तावेज/साक्ष्य के अभाव में यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

6. **आया रजिस्टर्ड बेचाननामों को निरस्त कराये बिना वादी का वाद चलने योग्य नहीं है?**

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। इस तनकी बाबत् पत्रावली में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। अतः साक्ष्य के अभाव में यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

7. **अनुतोष**

वादीगण अपने हक की तनकी साबित करने में विफल रहने से किसी प्रकार के अनुतोष का अधिकारी नहीं है।

आदेश

उक्तानुसार वादीगण अपने हक में तनकी संख्या 1,2,3 व 4 को साक्ष्य/रेकार्ड से साबित करने में विफल रहने से वादीगण किसी प्रकार के अनुतोष का अधिकारी नहीं होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत नहीं है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली फैसल शूमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

5/5

अन्तिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... मुकाम.....लाखेरी.....

व इजलास.....श्रीमती भावना सिंह(आर0ए0एस).....

नूर मोहम्मद पुत्र बादूल्ला खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम माखीदा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान मृतक कायम मुकाम
1/1. मोहम्मद याकुब पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी माखिदा तहसील इन्द्रगढ़
1/2. मकसुद अली पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी माखिदा तहसील इन्द्रगढ वगै0
—वादीगण

1. इस्माईल उर्फ ईसलाम पुत्र गनी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम माखिदा हाल निवास मस्जिद के पास इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
2. हनीफ पुत्र गनी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी माखीदा हाल निवास नई बस्ती कब्रस्तान के पास तालेडा तहसली इन्दगढ़ जिला बून्दी,राज0।
3. ईसाक मोहम्मद पुत्र गनी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी पुलिस लाईन मस्ज़िद के पास शिवनगर कोटा, राज0 वगै0

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत 88,89,188 आर0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर 38/दावा/2010 सन् .....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ..... हमारे.....व हाजिरी .....वादीगण अधिवक्ता श्री बालकिशन रायका .....मिनजानिब मुद्दई रूबरू...प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार जैन..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है कि —

वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....

.....खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह .....

..फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06 माह 02 सन् 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

मुहर

दस्तखत

ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

1/3. मुबारिक पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी माखिदा तहसील इन्द्रगढ
1/4. जाहिद हुसैन पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी माखिदा तहसील इन्द्रगढ
1/5. मेहरूनिसा पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी माखिदा तहसील इन्द्रगढ
1/6. (डिलीट)गुलाब बाई पत्नी नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी माखिदा तहसील इन्द्रगढ

बनाम

4. घीसी पुत्री गनी मोहम्मद पत्नी हुसैन खां निवासी पाटुण्दा तहसील अन्ता बांरा, राज0।
5. जेतुना पुत्री गनी मोहम्मद पत्नी हजारी खां मिलेटी मैन जाति मुसलमान निवासी मस्जिद के पास शिव कोटा, राज0।
6. जेतुना पुत्री गनी मोहम्मद पत्नी सलीम जाति मुसलमान निवासी शिव नगर कोटा, राज0।
7. पुरखान पुत्री गनी मोहम्मद पत्नी मुस्ताक जाति मुसलमान निवासी शिव नगर, कोटा, राज0।
8. बानों बाई बेवा गनी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी पुलिस लाईन शिव नगर कोटा, राज0।

—प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)